न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 05/24

दायरा दिनांक 07.05.2024

1–मंगल पुत्र श्रीलाल उम्र 52 वर्ष जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2–भवानी पुत्र श्रीलाल उम्र 50 वर्ष जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

धर्मेन्द्र पुत्र रामचरण जाति सहरिया निवासी बैंटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय–दिनांक 08.04.2025

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से – श्री प्रकाशचन्द नामदेव नामदेव एडवोकेट

प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बेंटा पटवार क्षेत्र बैंटा तहसील शाहाबाद में वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 133 रकबा 8.02 बीघा किस्म बा.च. स्थित है, जिसे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थीगण निरन्तर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसमें दखलन्दाजी करने का अप्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजी वर्तमान में आबादी वसावट के निकट आ गई है। अप्रार्थी सहरिया अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हैं, जो झगडालु तथा लडाकू प्रवृति का हैं। दिनांक 15.04.2024 को अप्रार्थी प्रार्थीगण की उक्त विवादित भूमि में घुस आया और नींव खुदवाने लगा पता लगते ही प्रार्थीगण मौके पर पहुंचे और अप्रार्थी को वमुश्किल रोका तब तक अप्रार्थी ने मकान बनाने के लिये नींव खुदवा दी। दिनांक 28.04.2024 को अप्रार्थी ने प्रार्थी के खाते की उक्त विवादित आराजी पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। बडी मुश्किल से प्रार्थीगण ने पुलिस थाना शाहावाद में रिपोर्ट कर अप्रार्थी को निर्माण करने से रोका है। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि यदि प्रार्थीगण ने उन्हे निर्माण करने से रोका तो वह प्रार्थीगण को धारा 3 एसटी एससी के झूंठे मुकदमें में रिपोर्ट कर बंद करा देगा और प्रार्थीगण के खाते की उक्त भूमि पर मकान निर्माण करके रहेंगा। विवादित आराजी प्रार्थीगण के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण अथवा कब्जा करने का अप्रार्थी को कोई वैधानिक हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी की उक्त धमकी व कृत्य से प्रार्थीगण के खाते तथा कब्जेकाश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है यदि अप्रार्थी प्रार्थीगण के खाते की उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा अथवा निर्माण करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा। इस कारण प्रार्थीगण विरुद्व अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यदि अप्रार्थीगण को शीघ्र ही अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी में अवैध निर्माण करने में कामयाब हो जावेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं होगा और प्रार्थीगण का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थी को इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:15 IST
Reason: SelfAttested

08/04/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 133 रकबा 8.02 बीघा ग्राम बेंटा पटवार हल्का बेंटा तहसील शाहावाद के किसी भी भाग पर कोई अवैध निर्माण अथवा अतिकमण नहीं करें और प्रार्थीगण के स्वतंत्र कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया और सीधे ही वहस का निवेदन किया। वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और प्रकरण में पारित दिनांक 11.06.2024 को कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। जबाव में अप्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अप्रार्थी विवादित आराजी में निर्माण नही कर रहा है बल्कि अप्रार्थी आबादी भूमि पर मकान बना रहा था, इस कारण प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी ग्राम बेंटा खाता संख्या 103 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 133 रकबा 8.02 बीघा प्रार्थीगण के रिकार्डेड खातेदारी की है, जो राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम है और प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी अनुसार प्रार्थीगण की फसल काश्त दर्ज है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट दिनांक 30.04.2024 अनुसार अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर निर्माण करने की पुष्टि होती है। इस प्रकार विवादित आराजी कृषि भूमि होकर प्रार्थी के खातेदारी तथा कब्जे की है, जिस पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया जाना अवैध तथा अतिचार की श्रेणी में आता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णीत होने तक प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी ख.नं. 133 रकबा 8.02 बीघा ग्राम बेंटा तहसील शाहावाद के किसी भी भाग पर कोई निर्माण, कब्जा अथवा दखलंदाजी नहीं करे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

18/04/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:15 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner